दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 18 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 12985/2021 और सि.वि.आ. 4912/2022

ईशा ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मेघा बहल, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, स्था.अधि. (सिविल) सह श्री अरुण पंवार, श्री सिद्धार्थ कृष्ण द्विवेदी और श्री आदित्य एस. जाधव, अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह,

<u>प्रतिभा एम. सिंह, न्या.</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. याचिकाकर्ता राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, न्यू उस्मानपुर, गौतम पुरी, दिल्ली, जो प्रत्यर्थी सं. 2- निदेशक, शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलता है, में लेक्चरर- इतिहास के रूप में कार्यरत है। वह कक्षा 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाती है। उसने वर्तमान याचिका इस घोषणा की मांग करते हुए दायर की थी कि उसे कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए बिना

स्कूल जाने, पढ़ाने और अन्य जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत निम्नानुसार है :-

> *i. याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थीगण को दिए गए अभ्यावेदन दिनांकित 11.10.2021 और 30.10.2021 से संबंधित अभिलेख मंगाने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; तथा*
>
> *ii. प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 29.09.2021, 08.10.2021 व 28.10.2021 को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; तथा*
>
> *iii. याचिकाकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए बिना उसे स्कूल जाने, उपस्थिति दर्ज करने, शिक्षण और उसके लिए निर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों का संचालन करने की अनुमति देने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; तथा*
>
> *iv. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें ताकि याचिकाकर्ता के सेवा लाभों को उन दिनों के लिए बहाल किया जा सके जब उसे दिनांक 16.10.2021 के बाद जबरन अनुपस्थिति चिह्नित किया गया था और उस पर थोपी गई छुट्टियों को उसके छुट्टी लेखा से न काटा जाए; और*
>
> *v. वर्तमान मुकदमेबाजी के खर्च सहित अवैध आक्षेपित आदेशों के कारण याचिकाकर्ता पर लगे जुर्मानों का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें; और*

vi. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में कोई अन्य या अतिरिक्त आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे पारित करें।

3. गैर-टीकाकरण से संबंधित मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***जैकब पुलियल बनाम भारत संघ व अन्य, [2022 एससीसी ऑनलाइन 748]*** *में* और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ***नरेंद्र कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार*** शीर्षक वाली ***रि.या. (सि) सं. 4741/2022*** में पहले ही विचार किया जा चुका है।

4. ***जैकब पुलियल (उपरोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किए गए मुद्दों पर निष्कर्षों का सारांश निम्नानुसार :-

(i) यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए मुद्दों का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और ये इस देश में व्यक्तियों के मूल अधिकारों से संबंधित हैं, हम रिट याचिका की अनुरक्षणीयता पर किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।
(ii) जहां तक विशेषज्ञ की राय के आधार पर नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामलों में कार्यपालिका को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और न्यायालय के पास अलग-अलग चिकित्सीय राय के आधार पर वैज्ञानिक मुद्दों के गुणागुणों का मूल्यांकन और निर्णयन करने की विशेषज्ञता नहीं है। हालांकि, यह न्यायालय को इस बात की संवीक्षा करने से रोकता नहीं है कि अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए क्या प्रश्नगत नीति को अनुचितता और प्रकट

मनमानेपन से परे और सभी व्यक्तियों के जीवन के अधिकार को आगे बढ़ाने वाला माना जा सकता है।

(iii) कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए शुरू किए गए टीकों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के आलोक में किसी व्यक्ति की शारीरिक संपूर्णता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के उल्लंघन के संबंध में, हमारी राय है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक संपूर्णता की रक्षा की जाती है और किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सुरक्षा का एक मान्यता प्राप्त पहलू है, में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार शामिल है। हालांकि, सामुदायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के हित में, सरकार व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ सीमाएं लागू करके सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को विनियमित करने की हकदार है, जो यह आकलन करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों द्वारा समीक्षा के लिए खुली हैं कि क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार और आजीविका के साधनों तक पहुंच के अधिकार पर इस तरह का आक्रमण के.एस. पुट्टास्वामी (पूर्वोक्त) में निर्धारित तीन तह वाली आवश्यकता को पूरा करता है अर्थात (i) वैधता, जो कानून के अस्तित्व को अनिवार्य बनाती है; (ii) आवश्यकता, राज्य के एक वैध उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित; और (iii) आनुपातिकता, जो लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।

(iv) संक्रमण से गंभीर बीमारी, ऑक्सीजन की आवश्यकता, अस्पताल व आईसीयू में भर्ती होने, मृत्यु दर में कमी और नए प्रकारों को उभरने से रोकने में टीकाकरण के लाभों पर विशेषज्ञों के लगभग सर्वसम्मत विचारों को दर्शाते हुए इस न्यायालय के समक्ष दायर पर्याप्त सामग्री के आधार पर, यह न्यायालय संतुष्ट है कि भारत संघ की वर्तमान टीकाकरण नीति प्रासंगिक विचारों से सूचित है और इसे अनुचित या स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। कुछ वर्गों से इस आशय से सामने आने वाली विपरीत वैज्ञानिक राय कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, इस मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(v) हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा उभरती वैज्ञानिक राय के रूप में रखी गई सामग्री का विरोध करते हुए भारत संघ या हमारे सामने उपस्थित राज्यों द्वारा कोई डाटा नहीं प्रस्तुत किया गया है, जो यह इंगित करता है कि गैर-टीकाकृत व्यक्तियों से वायरस के संचरण का जोखिम लगभग टीकाकृत व्यक्तियों के बराबर है। इसके आलोक में, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न टीकाकरण आदेशों के माध्यम से गैर-टीकाकृत व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को आनुपातिक नहीं कहा जा सकता है। जब तक संक्रमण दर कम रहती है और कोई भी नया विकास या शोध निष्कर्ष सामने आता है जो गैर-टीकाकृत व्यक्तियों के अधिकारों पर उचित और आनुपातिक प्रतिबंध लगाने के लिए उचित औचित्य प्रदान करे, हम सुझाव देते हैं कि इस देश के सभी प्राधिकार, जिनमें निजी संगठन

और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच के मामले में गैर-टीकाकृत व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाले संबंधित आदेशों और निर्देशों की समीक्षा करें, यदि इन्हें पहले से ही वापस नहीं ले लिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत तेजी से परिवर्तित होने वाली परिस्थिति के संदर्भ में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए टीकाकरण आदेश की समीक्षा करने का हमारा सुझाव केवल वर्तमान परिस्थिति तक ही सीमित है और इसे संक्रमण और वायरस के संचरण की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए कार्यपालिका द्वारा शक्ति के वैध अभ्यास में हस्तक्षेप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा सुझाव केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कोविड-उपयुक्त व्यवहार के रखरखाव की आवश्यकता वाले किसी अन्य निर्देश पर भी लागू नहीं होता है।

(vi) अलग-अलग नैदानिक डाटा को प्रकट न करने के संबंध में, हम पाते हैं कि वर्तमान वैधानिक व्यवस्था, जीसीपी दिशानिर्देशों और नैदानिक परीक्षणों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान के तहत आवश्यकता के अनुरूप, प्रश्नगत टीकों के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। भारत संघ द्वारा प्रदान की गई सामग्री, जिसमें एसईसी की बैठकों के कार्यवृत्त शामिल हैं, इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं कि संबंधित डाटा की पूरी समीक्षा के बिना, कोविशील्ड और कोवैक्सिन के सीमित आपातकालीन उपयोग को जल्दबाजी में अनुमोदन प्रदान किया गया

था। एसईसी और एनटीएजीआई की बैठकों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है और इसलिए, पारदर्शिता की कमी के आधार पर टीकों को नियामक अनुमोदन प्रदान करते समय विशेषज्ञ निकायों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं को चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, हम दोहराते हैं कि व्यक्तिगत विषयों की गोपनीयता के संरक्षण के अधीन, चल रहे नैदानिक परीक्षणों और परीक्षणों, जो आगे कोविड-19 टीकों के लिए किए जा सकते हैं, के संबंध में मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत सभी प्रासंगिक डेटा, जिसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है, को बिना किसी अनुचित देरी के जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(vii) हम एईएफआई की निगरानी प्रणाली के दोषपूर्ण होने और टीकों से होने वाली गंभीर प्रतिक्रियाओं या मौतों के सटीक आंकड़ों को प्रतिबिंबित नहीं करने की व्यापक चुनौती को ग्रहण नहीं करते हैं। हम इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत के फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम और सीडीएससीओ की भूमिका, जैसा कि भारत संघ द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है, टीका लगाने के समय एईएफआई की निगरानी के दौरान देखी गई पूर्व में अज्ञात प्रतिक्रियाओं का मिलान और अध्ययन करना है और हम भारत संघ पर विश्वास करते हैं कि एईएफआई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई त्वरित समीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एईएफआई निगरानी प्रणाली के इस चरण के साथ समझौता नहीं किया गया है।

(viii) हमारी यह भी राय है कि महामारी पर आगे के वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक होने के अलावा, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित जानकारी टीकों और उनकी प्रभावकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिकूल घटनाओं के अपेक्षित आंकड़ों के संग्रह और सूचना देने के संदर्भ में व्यापक भागीदारी की अनिवार्य आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारत संघ को एक सुलभ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तियों और निजी चिकित्सकों द्वारा संदिग्ध प्रतिकूल घटनाओं की सूचना प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। सूचना देने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा से समझौता किए बिना, इन रिपोर्टों को जनता के लिए उपलब्ध बनाया जाए, साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म के अस्तित्व और प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने के लिए आवश्यक जानकारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत संघ द्वारा जल्द से जल्द सभी आवश्यक कदम उठाए जाए।

(ix) बाल चिकित्सा टीकाकरण पर, हम मानते हैं कि इस देश में बच्चों को टीका लगाने के लिए भारत संघ द्वारा लिया गया निर्णय वैश्विक वैज्ञानिक सहमति और डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और सीडीसी जैसे विशेषज्ञ निकायों के अनुरूप है और यह समीक्षा के दायरे से परे है कि यह न्यायालय विशेषज्ञ मत, जिसेक आधार पर सरकार ने अपनी नीति बनाई है, पर प्रश्न उठाए। नैदानिक परीक्षणों पर डब्ल्यूएचओ के बयान और मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, हम भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बच्चों

> *को देने के लिए नियामक प्राधिकरणों द्वारा पहले से अनुमोदित टीकों के नैदानिक परीक्षणों के प्रासंगिक चरणों के प्रमुख निष्कर्षों और परिणामों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए, यदि पहले से नहीं किया गया है।*

5. इसके अलावा, संबंधित रिट याचिकाओं अर्थात ***डॉ. रविंदर प्रताप बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार*** शीर्षक वाली रि.या.***(सि) 11694/2021, दीपक कुमार व एक अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार*** शीर्षक वाली **रि.या.*(सि) 14705/2021*** और ***डॉ. नीतू चौधरी व एक अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार*** शीर्षक वाली **रि.या.*(सि) 11845/2021*** *में*, जहां उन याचीगण, जो समान थे, को भी निम्नलिखित शर्तों में राहत प्रदान की गई थी:-

> *"1. रिट याचिकाओं के इस समूह ने महामारी के दौरान अनिवार्य टीकाकरण के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ("डीडीएमए") द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को चुनौती दी थी। न्यायालय उल्लेख करता है कि, एक समान मुद्दे पर विचार करते हुए, उसने एक रिट याचिका, अर्थात्, नरेंद्र कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार [डब्ल्यू.पी.(सि) 4741/2022] का निपटान अपने आदेश दिनांकित 15 जुलाई, 2022 द्वारा निम्नलिखित शर्तों में किया था :- "याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण द्वारा उस पर कोविड-19 का टीका लगाने के लिए जोर दिए जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत एक चिकित्सीय राय की पृष्ठभूमि में उठाई गई थी, जिसके संदर्भ में यह बताया गया था कि यह*

याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जाने वाली पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थिति के कारण उसे अनिवार्य टीकाकरण से छूट देने का समर्थन करती है। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के लिए उपस्थित विद्वान अति.स्था.अधि., श्री सत्यकाम, ने उचित रूप से कहा है कि जैकब पुलियल बनाम भारत संघ व अन्य [डब्ल्यू.पी.(सि) 607/2021] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में, <u>प्रत्यर्थीगण का याचिकाकर्ता पर कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगवाने के लिए जोर देने का इरादा नहीं है।</u> पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और चूंकि रिट याचिका में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं शेष नहीं रहेगा, इसलिए इसका निपटान किया जाता है। न्यायालय आगे यह मत व्यक्त करता है कि आक्षेपित निर्देशों के कारण याचिकाकर्ता की ओर से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगण द्वारा रोके गए किसी भी वेतन और अन्य देय राशि का शीघ्रता के साथ और किसी भी स्थिति में आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान किया जाए।

2. वर्तमान में, <u>न्यायालय को अवगत कराया गया है कि प्रत्यर्थीगण के तहत कोई भी नियोक्ता जैकब पुलियल बनाम भारत संघ [2022 एससीसी ऑनलाइन 748] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य टीकाकरण पर जोर नहीं दे रहा है और सभी कर्मचारियों को टीकाकरण के अनिवार्य होने की शर्त के बिना अपने पदों पर पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है।</u>

3. पूर्वोक्त मामले में प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यक्त किए गए पूर्वोक्त मत को ध्यान में रखते हुए और जिसे वर्तमान कार्यवाही में दोहराया गया है, इन रिट याचिकाओं का निपटान समान शर्तों पर किया जाता है।

4. याचिकाकर्ताओं को अपने पदों पर पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। भुगतान न किए गए वेतन के संबंध में कोई भी मुद्दा संबंधित नियोक्ताओं द्वारा नरेंद्र कुमार मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ जैकब पुलियल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए।

6. समान तथ्य वाली परिस्थितियों से संबंधित उपरोक्त आदेशों के मद्देनजर, वर्तमान याचिका, सभी लंबित आवेदनों के साथ, इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि ऊपर पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा कोविड-19 टीकाकरण पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता, फिर भी, अब टीका भी लगवा चुका है। इसलिए, याचिका में जो मुद्दे बचे हैं, वे सेवा लाभ से संबंधित हैं।

7. जहां तक सेवा लाभों पर प्रश्न का संबंध है, याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने की अनुमति है और इस पर निर्णय 30 दिनों के भीतर लिया जाए।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभ्यावेदन दिनांक 14 जून, 2022 को दे दिया गया है। उक्त अभ्यावेदन की प्रति को एक नए आवरण-पत्र के साथ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को 1 सप्ताह के भीतर अग्रेषित किया जाए। उसी पर प्रत्यर्थी द्वारा चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। सभी उपचारों को उपलब्ध रखा गया है।

9. किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

18 जनवरी, 2023/डीके/एम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*